भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2924
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषक परिवार को खेती से औसत आय

†2924. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान खेती से कृषक परिवारों को होने वाली औसत आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कृषि परिवारों के लिए खेती से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि परिवारों पर राज्य-वार उनकी सकल मासिक आय के अनुपात में औसत ऋण भार कितना है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि परिवारों को कुल कितना संस्थागत ऋण संवितरित किया गया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक किसानों को वहनीय ऋण उपलब्ध हो?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): समय-समय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संचालित "कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय और बकाया ऋण की औसत राशि का अनुमान लगाया जाता है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए नवीनतम एनएसएस सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के अनुसार, कृषि वर्ष जुलाई 2018 - जून 2019 के दौरान खेती सहित विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय **अनुबंध I** में दी गई है, और इसी अवधि के दौरान प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि **अनुबंध II** में दी गई है। चूंकि पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2019 में किया गया था, इसलिए विगत पांच वर्षों के लिए प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय और बकाया ऋण की राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। तथापि भारत सरकार किसानों के कल्याण में वृद्धि करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, सुधारों, विकास कार्यक्रमों, बजटीय सहायता, एमएसपी के माध्यम से मूल्य समर्थन और समय-समय पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। देश भर में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कई केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसका विवरण **अनुबंध III** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के "कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ – बकाया अग्रिम" का विवरण निम्नानुसार है:

निम्नलिखित दिनांक तक	**कृषि एवं** संबद्ध **गतिविधियाँ - बकाया अग्रिम (रुपये करोड़ में)**
31.03.2021	13,84,815
31.03.2022	14,50,214
31.03.2023	18,18,907
31.03.2024	21,69,983
31.03.2025	23,67,024

सरकार ने ग्रामीण परिवारों के बीच संस्थागत ऋण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ बैंकों के लिए जमीनी स्तर पर कृषि ऋण लक्ष्य का वार्षिक निर्धारण, बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) आदि के माध्यम से किफायती ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुनियोजित दीर्घकालिक उपाय भी लागू किए हैं। इन पहलों में प्रत्यक्ष नकद लाभ योजनाएं (पीएम किसान), फसल बीमा (पीएमएफबीवाई), सब्सिडी और अनुदान आधारित कार्यक्रम (कृषोन्नति योजना, आरकेवीवाई) आदि शामिल हैं।

दीर्घकालिक रूप से ऋण सुलभता में सुधार लाने के लिए, सरकार भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक पूर्णतः केंद्र वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। केसीसी-एमआईएसएस योजना के कारण किसानों को अपनी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसान और किफायती ऋण की सुलभता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होता है। इसे सुगम बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सब्सिडी (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

अनुबंध।

"कृषि परिवार की खेती से औसत आय" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2924 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान कृषि परिवारों की औसत मासिक आय

क्र.सं.	राज्य/ पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/ संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	आय (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	10,480
2	अरुणाचल प्रदेश	19,225
3	असम	10,675
4	बिहार	7,542
5	छत्तीसगढ	9,677
6	गुजरात	12,631
7	हरियाणा	22,841
8	हिमाचल प्रदेश	12,153
9	जम्मू एवं कश्मीर	18,918
10	झारखंड	4,895
11	कर्नाटक	13,441
12	केरल	17,915
13	मध्य प्रदेश	8,339
14	महाराष्ट्र	11,492
15	मणिपुर	11,227
16	मेघालय	29,348
17	मिजोरम	17,964
18	नागालैंड	9,877
19	ओडिशा	5,112
20	पंजाब	26,701
21	राजस्थान	12,520
22	सिक्किम	12,447
23	तमिलनाडु	11,924
24	तेलंगाना	9,403
25	त्रिपुरा	9,918
26	उत्तराखंड	13,552
27	उत्तर प्रदेश	8,061
28	पश्चिम बंगाल	6,762
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**16,863**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**18,511**
	अखिल भारत	**10,218**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या *587:* ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि और पशुधन धारिता का स्थिति आकलन*, 2019*।

अनुबंध-II

"कृषि परिवार की खेती से औसत आय" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2924 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध।

क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य समूह/ संघ राज्य क्षेत्र समूह	प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रुपये में)	कृषि परिवारों को कवर करने का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	2,45,554	93.2
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581	12.5
3	असम	16,407	31.0
4	बिहार	23,534	39.7
5	छत्तीसगढ	21,443	31.2
6	गुजरात	56,568	42.5
7	हरियाणा	1,82,922	47.5
8	हिमाचल प्रदेश	85,825	29.2
9	जम्मू एवं कश्मीर	30,435	31.9
10	झारखंड	8,415	25.3
11	कर्नाटक	1,26,240	67.6
12	केरल	2,42,482	69.9
13	मध्य प्रदेश	74,420	48.4
14	महाराष्ट्र	82,085	54.0
15	मणिपुर	5,551	20.6
16	मेघालय	2,237	9.1
17	मिजोरम	23,485	8.0
18	नागालैंड	1,750	6.0
19	ओडिशा	32,721	61.2
20	पंजाब	2,03,249	54.4
21	राजस्थान	1,13,865	60.3
22	सिक्किम	32,185	10.6
23	तमिलनाडु	1,06,553	65.1
24	तेलंगाना	1,52,113	91.7
25	त्रिपुरा	23,944	47.7
26	उत्तराखंड	48,338	46.6
27	उत्तर प्रदेश	51,107	41.9
28	पश्चिम बंगाल	26,452	50.8
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**10,034**	**19.2**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**25,629**	**27.5**
	अखिल भारत	**74,121**	**50.2**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या *587:* ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और भूमि एवं पशुधन धारिता का स्थिति आकलन*, 2019*

अनुबंध III

"कृषि परिवार की खेती से औसत आय" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2924 के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध।

कृषि एवं किसान कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – पाम ऑयल
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)
23. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

*****